कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- दिनांक- 269

पत्र संख्या-वि0व0-संग्रह/11-12/ 1112023 /वाणिज्य कर

कार्यालय-

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ //दिनांक / ~~27~~ 30 /मई ,2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- अपलेखन का प्रस्ताव निर्धारित प्रारुप में मुख्यालय प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

दिनांक 03-06-2011 को होने वाली लोक लेखा समिति की बैठक की पूर्व समीक्षा के समय यह संज्ञान में आया कि बहुत बड़ी संख्या में अपलेखन के मामले लम्बित हैं । इससे यह स्पष्ट है कि अपलेखन की कार्यवाही विधिवत नही की जा रही है । प्राय: देखा जा रहा है कि निर्धारित 22सूत्रीय प्रारुप व अन्य औपचारिकतायें न पूर्ण करते हुए तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपलेखन का प्रस्ताव बिना सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित कराये हुए मुख्यालय प्रेषित कर दिया जाता है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि जिन जनपदों में विभागीय बकाया वसूली योजना लागू है वहॉ जिला स्तर पर अपलेखन के समस्त मामले में संयुक्त जॉच के उपरान्त 22सूत्रीय प्रारुप में निर्धारित स्तम्भों को पूर्ण करते हुए तथा शासनादेश संख्या ए-2-970/10-96/24(7)-95, दिनांक 28 जून, 1996 के अनुलग्नक (संलग्न) द्वारा निर्धारित धनराशि की सीमा के अनुसार संयुक्त जॉच अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र को संबंधित कर वसूली अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए अपलेखन सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यालय को 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें । जिन जनपदों में वसूली की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा करायी जाती है, वहॉ उक्त शासनादेश के अनुलग्नक द्वारा दी गयी परिसीमाओं के अन्तर्गत संयुक्त जॉच के उपरान्त अपने स्तर से पत्रावलियों को परगना अधिकारी, जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त को प्रेषित करके अपलेखन की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें । यदि मण्डलायुक्त की सीमा से ऊपर की धनराशि अपलिखित की जानी है तो शासन को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें । अपलेखन के कार्य में यदि किसी स्तर पर अनवाश्यक विलम्ब हो रहा हो तो उसके लिए कृत प्रयास सहित प्रकरण मुख्यालय संदर्भित करें जिससे कि मेरे द्वारा उपरोक्त अधिकारियों से वार्ता करके अपलेखन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जा सके ।

इस परिपत्र की छायाप्रतियॉ अपने स्तर से अपने जोन के समस्त अधिकारियों को प्राप्त करा दें ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर,वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।